



हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के अन्तर्गत वृद्धों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं क्रियान्वयन

डॉ. ऋषिकुमार द्विवेदी

प्राचार्य, स्वामी नीलकण्ठ विधि महाविद्यालय, मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

शोध सारांश: सामान्यतः हिन्दू विधि में भरण-पोषण को बृहत् रूप में लिया गया है और इसके अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या के लिए उपबन्ध आते हैं। हिन्दू समाज में संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली की पृष्ठभूमि में भरण-पोषण का विशेष महत्व है। वृद्ध और शिथिलांग जनकों के भरण-पोषण का दायित्व पुत्र और पुत्रियों का अपने जीवनकाल के दौरान है। वे माता-पिता जो अपना जीवन-यापन करने में असमर्थ हैं वे शिथिलांग की परिभाषा में आते हैं। पुरानी विधि में संयुक्त कुटुम्ब के सब सदस्य भरण-पोषण पाने के अधिकारी थे। हिन्दू विधि का यह नियम अब भी मान्य है। पुरानी हिन्दू विधि में उत्तराधिकार की विधि भिन्न होने के कारण आश्रितों के भरण-पोषण का प्रश्न लगभग न के बराबर था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार की स्कीम और वसीयती उत्तराधिकार की मान्यता के कारण हिन्दू विधि में 'आश्रित' शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है।

मुख्य शब्द: दत्तक, भरण-पोषण, संरक्षण, क्रियान्वयन, उत्तराधिकार आदि।

संदर्भ स्रोत:

- [1]. इस पाठ को मिताक्षरा में उद्धृत किया गया है और यही मत व्यक्त किया गया है।
- [2]. वृहस्पति xv3.
- [3]. मिताक्षरा 11, 175
- [4]. मुन्नी वि. छोटी, 1983 इला. 444
- [5]. जयन्ती वि. अलामेलू, 37 मद्रास 45
- [6]. चैडियन वि. सेठिया कृष्णन, 1982 कैरोना 148
- [7]. गुलजारा सिंह वि. तेज कौर, 1961 पंजाब 288
- [8]. राम राव वि0 राजा ऑफ पीतापुर (1918) 45 इण्डियन अपीलस 48
- [9]. पोकुरु वि. पोकुरी, 1970 आन्ध्र प्रदेश 33
- [10]. गोवर्धन वि. गंगाबाई, 1964 मध्य प्रदेश 168
- [11]. बेबी वि. सुनील, 1991 दि. 44
- [12]. मगन भाई वि. मनीबेन, 1985 गु. 187
- [13]. किरन वि. वंकिम, 1971 कलकत्ता 603
- [14]. मुताल्या वि. मुताल्या, 1962 आन्ध्र प्रदेश 439



- [15].1964 मध्य प्रदेश 168
- [16].1967 कलकत्ता 603
- [17].1962 आठ 439
- [18].लक्ष्मी वि० कृष्णा 1968
- [19].परलागड्डे वि. परलागड्डे (1901) 27 इण्डियन अपीलस 151
- [20].रघुनाथ वि. द्वारका भाई 1941 बम्बई 357
- [21].करैया वि. पेल्लमा, (1939) मद्रास 233
- [22].1964 मद्रास 217
- [23].शंकर नारायणन वि. लक्ष्मी 1960 मद्रास 291
- [24].मेनका वाला वि. पंचानन, 1966 कलकत्ता 288
- [25].1987 कर 209
- [26].दाई कौर वि० सरला, 73 इण्डियन अपीलस 608